न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 23/2026 दायर दिनांक 23.01.2026

उनवान

1. कन्हैयालाल पि. भेरूलाल जाति कलाल नि. कोटडी तहसील पिड़ावा

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा जिला झालावाड

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनाक : 21/5/26

प्रार्थी कन्हैयालाल पि. भेरूलाल जाति कलाल नि. कोटडी तहसील पिड़ावा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती पेश किया गया। सहमति बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के परिपेक्ष में पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों/रेकार्ड, कन्हैयालाल का आधार कार्ड (451971345396), बैंक खाता पासबुक, जनाधारकार्ड रसीद (1429-POVI-16663), ग्राम पंचायत कोटडी का प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2025, ग्राम कोटडी का नामा. सं. 288 दिनांक 06.03.1978, ग्राम कोटडी जमाबन्दी सवंत 2034—37 एवं तहसीलदार पिडावा की जांच रिपोर्ट कमांक 250 दिनांक 23.03.2026 आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पिडावा राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किये जाने में सहमत है। अतः राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटडी प0स0 कोटडी तहसील पिडावा की जमाबन्दी सवं सवंत 2071—74 के खाता संख्या 56 में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी/खातेदार के पिता का नाम) को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में निम्नलिखित रूप से अमल दरामद के आदेश दिये जाते है —

क्रम संख्या	ग्राम / पटवार मण्डल / तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम कोटड़ी प0म0 कोटड़ी तहसील पिड़ावा	98	कन्हैयालाल पि. लक्ष्मण	कन्हैयालाल पि. भैरूलाल

तहसीलदार पिड़ावा आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना करना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Scanned with OKEN Scanner